न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 26/2016 तारीख रजू :–18.07.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

1. अशोक कुमार मित्तल पुत्र श्री रमेश चन्द मित्तल (खाद्य रजिस्ट्रेशन धारी) मैसर्स मित्तल स्नेक्स एण्ड टी स्टाल एण्ड नमकीन एण्ड स्वीट्स बस स्टेण्ड ग्राम एवं पोस्ट फलोदी क्वारीज जिला सवाई माधोपुर निवासी बस स्टेण्ड ग्राम एवं पोस्ट फलोदी क्वारीज जिला सवाई माधोपुर।
2. अम्बरीश तिवाड़ी पुत्र राजन लाल तिवाडी (नोमिनी) मैसर्स दिव्या एग्रो फूड प्रोडेक्ट प्रा0 लि0 एफ 169–172 एण्ड 173–176 फूड एग्रो पार्क फेज 2 रणपुर पोस्ट एवं जिला कोटा। औद्योगिक क्षेत्र थाना कोटा।
3. मैसर्स दिव्या एग्रो फूड प्रोडक्ट प्रा0 लि0 एफ 169–172 एण्ड 173–176 फूड एग्रो पार्क फेज 2 रणपुर पोस्ट एवं जिला कोटा। औ0 क्षे0 थाना कोटा।

...........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 22/6/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा, 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 19.11.2015 को समय 11.30 ए.एम. पर मैसर्स मित्तल स्नेक्स एण्ड टी स्टाल एण्ड नमकीन एण्ड स्वीट्स बस स्टेण्ड ग्राम एवं पोस्ट फलोदी क्वारीज जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहा पर अशोक कुमार मित्तल पुत्र श्री रमेश चन्द [illegible] एवं पोस्ट फलोदी क्वारीज जिला सवाई माधोपुर उपस्थित थे को आवेदक ने अपना [illegible] दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान [illegible] निरीक्षण किया दुकान में खाद्य पदार्थ मिठाई, नमकीन, बिस्कीट, दूध, चा[illegible] दुकान में [illegible] में खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत होमोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (अ[illegible]ट) 500 मि0ली0 के 1[illegible] पैक विक्रय हेतु रखे हुए थे, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पेश किया गया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5a की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:45 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त [illegible]

देकर प्राप्ति रसीद ली गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत होनोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (ओनेस्ट) 500 मि0ली0 पौली पैक के 04 पोली पेक वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 64/— रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत होमोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (ओनेस्ट) 500 मि0ली0 पौली पेक के 04 पोली पेक को खोल कर 04 बोतलों में बराबर बराबर डाल कर प्रत्येक बोतल में प्रिजरवेटिव फोर्मेलिन की 40—40 बूंदे डाल कर प्रत्येक को बंद कर, आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक—एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक बोतल के साथ एक—एक खाली पोली पाउच रखते हुए प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 788 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता अशोक मित्तल ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में आवेदक द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर अलग—अलग रसीद प्राप्त की गई । दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/161 दिनांक 13.01.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस 3862/एक्ट/2015/44 दिनांक 05.01.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत होमोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (ओनेस्ट) 500 मि0ली0 पौली पैक मिसब्राण्ड पाया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत् अशोक कुमार मित्तल पुत्र श्री रमेश चन्द मित्तल (खाद्य रजिस्ट्रेशन धारी) मैसर्स मित्तल स्नेक्स एण्ड टी स्टाल एण्ड नमकीन एण्ड स्वीट्स बस स्टेण्ड ग्राम एवं पोस्ट फलोदी क्वारीज जिला सवाई माधोपुर को पत्र लिखा गया। अशोक कुमार मित्तल पुत्र श्री रमेश चन्द मित्तल (खाद्य रजिस्ट्रेशन धारी) मैसर्स मित्तल स्नेक्स एण्ड टी स्टाल एण्ड नमकीन एण्ड स्वीट्स बस स्टेण्ड ग्राम एवं पोस्ट फलोदी क्वारीज जिला सवाई माधोपुर द्वारा प्रत्युत्तर में शपथ पत्र की प्रति पेश की गई। आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत मैसर्स दिव्या एग्रो फूड प्रोडक्ट प्रा0लि0 फूड एग्रो पार्क फेज 2 रणपुर पोस्ट एवं जिला कोटा एवं दिव्या एग्रो फूड प्रोडक्ट प्रा0 लि0 विज्ञान नगर कोटा (राज.) को पत्र लिखे गए। मैसर्स दिव्या एग्रो फूड प्रोडक्ट प्रा0 लि0 रणपुर कोटा द्वारा प्रत्युत्तर मय खाद्य अनुज्ञापत्र, नोमिनी फार्म, जिला उद्योग कोटा के मेमोरेन्डम एवं नोमिनी के ड्राइविंग लाईसेंस की छायाप्रति पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:45 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्त नं01 ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत होमोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (ओनेस्ट) 500 मि0ली0 पौली पैक (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है एवं ऊपर अंकित अभियुक्त नं0 दो एवं तीन ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत होमोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (ओनेस्ट) 500 मि0ली0 पौली पैक (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से एड0 भोलाशंकर शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत होमोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (ओनेस्ट) 500 मि0ली0 पौली पैक मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में पाश्च्युरीकृत होमोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (ओनेस्ट) 500 मि0ली0 पौली पैक का क्रय अभियुक्त संख्या 2 व 3 से परिवहन किये जाने वाले वाहन से क्रय कर उसी अवस्था में विक्रय किया गया है जिसमें अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। अभियुक्त संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क दिया गया कि उनके पक्षकार द्वारा विक्रय की गई खाद्य सामग्री पाश्च्युरीकृत होमोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (ओनेस्ट) 500 मि0ली0 पौली पैक में एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार सेम्पल किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई है केवल यूज वाई डेट में संवहन से वर्ष का अंकन रह गया है तथा इस भूल को सुधार लिया गया है । अंत में अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा न्यूनत्तम शास्ति के दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 3862/एक्ट/2015/44 दिनांक 05.01.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत होमोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (ओनेस्ट) 500 मि0ली0 पौली पैक मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया है जिसको अभियुक्तगण द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित [illegible] दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त [illegible] करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति [illegible] से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चूंकि अभियुक्त [illegible] प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:45 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत होमोजेनाईज्ड डबल टोण्ड दूध (ओनेस्ट) 500 मि0ली0 पौली पैक का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000/—रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये), अभियुक्त संख्या 2 पर 10,000/—रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अभियुक्त संख्या 3 पर 10,000/—रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर—अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/6/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:45 IST
Reason: SelfAttested